

27.5.26

अभि० उप०। अभि० अंगद, दोलताराम,
दासीराम, धनश्याम व वीरसिंह मय
अधि० उप०। अभि० मुरारीलाल उप० नहीं है।
अभि० को धारा 437 A CrPc की पालना
में सारी 20000/- 20000/- के जमानत-
मुचलेठ पेश करने के आदेश दिये
जाते हैं। आदेशानुसार अभि० अंगद,
दोलताराम, दासीराम, धनश्याम, वीरसिंह
ने जमानत-मुचलेठ पेश किये गये, जिन्हें
बाद जांच तस्दीक किया गया। शामिल
पत्रा० रहे। अधि० अभि० ने एवं उपस्थित
अभि० युक्त ने तब से पूर्व से यह जाहिर
किया है कि अभि० मुरारीलाल भी उप०
आ रहा है। समय 12.15 PM तक अभि०
मुरारीलाल उप० नहीं है। समय 12.25 PM
पर अभि० मुरारीलाल उप० आया।
अभि० मुरारीलाल की ओर से धारा
437 A CrPc की पालना में जमानत मुचलेठ
पेश किये गये, जिन्हें बाद जांच तस्दीक
किये गये। शामिल पत्रा० रहे। अधि०
अभि० ने बहस अन्तिम हेल दिनांक अवसर
चाहा। बाद सुनवाई अवसर दिया
जाता है। पत्रावली वास्तु बहस अन्तिम
हेल दि० 02.5.26 को पेश हो।

H. L. G.

पे० 15

दोलताराम
दासीराम
धनश्याम

वीरसिंह

मुरारी